न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 25/2014

उनवान मुकदमा

1. विक्रम पिता स्व. श्री विरिया जाति भील , आयु वयस्क , निवासी पिपलोद सुखराम नाबालिग संरक्षक वलिये माता श्रीमती कमला पत्नी स्व श्री विरिया जाति भील,निवासी पीपलोद बांसवाडा (राज.)
2. श्री सुखराम नाबालिग सरंक्षक वलिये माता श्रीमती कमला पत्नी स्व.श्री विरिया,जाति भील निवासी पिपलोद
3. श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री विरिया,जाति भील ,आयु वयस्क,निवासी पिपलोद
4. गौतम पिता स्व. श्री धुलजी जाति भील,निवासी पिपलोद
5. सन्जु नाबालिग संरक्षक वलिये माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व.श्री धुलजी जाति भील निवासी पिपलोद
6. सुरज नाबालिग संरक्षक वलिये माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व.श्री धुलजी जाति भील,निवासी पिपलोद
7. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व.श्री धुलजी जाति भील निवासी पिपलोद सभी वादीगण निवासीयान पिपलोद,तहसील व जिला बांसवाडा
8. हरिश पिता स्व.श्री बलिया ,जाति भील,निवासी पिपलोद
9. श्रीमती चौखी पत्नी स्व.बलिया,जाति भील ,निवासी पिपलोद
10. ब्हादुर पिता स्व.रकमा जाति भील निवासी पिपलोद
11. प्रकाश पिता स्व.रकमा जाति भील निवासी पिपलोद
12. श्रीमती गलबी पत्नी स्व.रकमा,जाति भील,निवासी पिपलोद
13. दिनेश पिता स्व. कालु,जाति भील निवासी पिपलोद
14. मुकेश पिता स्व.कालु ,जाति भील निवासी पिपलोद
15. श्रीमती गंगा पत्नी स्व.कालु,जाति भील,निवासी पिपलोद
16. बपुलाल पिता स्व. दिपा जाति भील,निवासीयान पिपलोद,तहसील व जिला बांसवाडा

वादीगण

बनाम

1. रामा पिता कचरू, जाति भील उम्र वयस्क निवासी पिपलोद,तहसील व जिला बांसवाडा(राज)
2. श्रीमान तहसीलदार बांसवाड़ा

प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक :– 04.11.2019

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है । वादी / प्रतिवादी अभिभाषक की बहस सुनी गई प्रस्तुत वाद में वादीगण अभिभाषक भालचन्द्र नागर ने बहस में विक्रम पिता स्व.श्री विरिया,जाति भील,निवासी पिपलोद प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थीण के परदादा पूंजा पिता माना के निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृर्षि भूमि खाता संख्या 38 के सर्वे नम्बर 330//25,रकबा 11 बिस्वा किस्म जंगल,लगानी रूप्या 0.13रूप्या,सर्वे नम्बर 331/42 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म जंग[illegible]सर्वे नम्बर 335/42 रबा 2 बीघा 16 बिस्वा किस्म जंगल,लगानी रूप्या 0.50रूप्या,क[illegible] 3 ,कुल रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम पिपलोद,पटवार हल्का लोधा,तहसील व जिला [illegible]सवाडा में स्थित है ।जिसकी जमाबन्दी संवत् 2026 से 2029 जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 एवं जमाबन्दी संवत 2034 से 2037 ,जमाबन्दी संवत 2037 से 2040 जमाबन्दी संवत 2042 से 2045 जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रार्थीगण के परदादा ,दादा व पिता जब तक जीवित थे तब तक वह कमाते

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.28 15:21:12 IST
Reason: SelfAttested

रहे ,उनके मरने के बाद प्रार्थीगण उपरोक्त सर्वे नम्बर की कृषि भूमि में अपने हिस्से में आयी कृषि भूमि पर आज दिनांक तक काबिज होकर उपयोग कर रहे है तथा राज्य सरकार में लगान अदा कर रहे है। प्रार्थीगण का उपरोक्त सर्वे नम्बर की कृषि भूमि पर भौतक स्वत्व,स्वामित्व व कब्जाकाश्त निरन्तर चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण ने उपरोक्त सर्वे नम्बर की कृषि भूमि पर वर्तमान में घास काटी है । अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दस्तावेज विक्रय–पत्र दिनांक 07.04.1977 के आधार पर नामान्तरण संख्या 236 दिनांक 26.07.1994 को उपरोक्त सर्वे की कृषि भूमि को अपने नाम से खाता दर्ज रेकार्ड करवा ली है । उपरोक्त नामान्तरण के आधार पर खातें में अपना नाम खातेदार के रूप में दर्ज करवा लिया है जो विक्रय–पत्र के आधार पर दर्ज किया गया नामानतरण अपनी प्रारम्भिक अवस्था में शुन्य होकर काबिल निरस्ती करने योग्य है । क्योंकि हमारे परदादा के कालिया,परतु पुत्र थे तथा अप्रार्थी संख्या 1 जमाई था इसलिए उसने बहला–फुंसलाकर उपरोक्त सारी कार्यवाहियां की है ।

प्रतिवादी अभिभाषक ने कथन किया की प्रार्थीगण का वाद परिसीमा में नही है । प्रार्थीगण का वाद (नॉन ज्वाईन्डर ऑफ पोपरटिज) विधि द्वारा वर्जित होकर आदेश 07 नियम 11 सि.प्र.सं में इसी प्रक्रम पर अपास्तनीय है । वादग्रस्त भूमि वर्ष 1977 से पूर्व स्व.श्री पुंजा आत्मज श्री माना भील निवासी पीपलोद के स्वयं की खातेदारी की रही है । दिनांक 07.04.1977 को स्व. श्री पुंजा आत्मज श्री माना भील निवासी पीपलोद,बांसवाडा ने वाद पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को कीमत 1500/– में विक्रय कर विक्रय कर विक्रय विलेख का अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में करा दिया है । तब से उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि शुद्व, पवित्र एवं आधिपत्य की है । जिस पर प्रार्थीगण का कोई अधिकार नही हैं । साथ ही प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नही है । सुविधाओं का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है तथा प्रार्थीगण को नापूर्ति क्षति नही हो रही है । इसके विपरित अप्रार्थी संख्या एक द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी की गई तो अप्रार्थी को नापूर्ति क्षति होगी।

वादी व प्रतिवादी के अभिभाषक की बहस सुनने के पश्चात गहनता से मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुचा हूं की अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरण विधिक दस्तावेज के पालना में हुआ है । अधिवक्ता वादी ने बहस में यह कथन नहीं किया है, कि भूमि विक्रय नहीं की गई हो अप्रार्थी संख्या 1 ने भूमि क्रय की है। तथा वर्तमान में खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है । तथा उक्त खातेदार के विरूद्व (अप्रार्थी संख्या 1) कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक नहीं है । प्रार्थना पत्र वास्तें अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है । पत्राावली फैसल शुमारू हो ।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2019 को सुनाया गया ।

(पर्वत सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.28 15:21:12 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2019.12.05 11:55:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: